बुनियादी साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत नव-साक्षरों का मूल्यांकन करने और प्रमाणपत्र देने के लिए दिशा-निर्देश

साक्षर भारत

विद्याधनम् सर्वधनं प्रधानम्

एनएलएमए तथा एनआईओएस की एक समन्वित पहल

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

ए-24-25, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा, उ.प्र.

विषय-सूची

1. भूमिका 1

2. मूल्यांकन करने और प्रमाणपत्र देने के उद्देश्य 1

3. मूल्यांकन और प्रमाणपत्र के लिए मुख्य आधार 1

4. मूल्यांकन के सिद्धांत 2

5. मूल्यांकन के क्षेत्र 3

6. संकलित मूल्यांकन साधनों/प्रश्नपत्रों का डिजाइन बनाना और उन्हें तैयार करना 3

7. अंतिम मूल्यांकन के लिए अवधि, समय और तिथि 3

8. शिक्षार्थियों के मूल्यांकन कार्यक्रम के कार्य-संबंधी मुद्दे, भूमिका निर्धारण और प्रबंधन 4

9. प्रमाणपत्र देना और परिणाम भेजना 8

10. गतिविधि चार्ट 9

नव-साक्षरों का मूल्यांकन करने और प्रमाणपत्र देने के लिए दिशा-निर्देश

बुनियादी साक्षरता कार्यक्रम

1. भूमिका

साक्षर भारत कार्यक्रम की सफलता और निष्कर्षों के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों के साक्षरता कौशलों का मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है। उनकी उपलिब्ध के स्तर को जानने के लिए शिक्षार्थियों में साहस, कार्य करने का आत्मविश्वास जगाने के लिए भी ऐसा करना आवश्यक है। उनमें उच्चतर शिक्षा और समझ के प्रति प्रोत्साहित करके उन्हें औपचारिक शिक्षा के समकक्ष भी लाना है। मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमें यह फीडबैक मिलता है कि शिक्षार्थियोंने पढ़ाई गई विषयवस्तु को कितनी अच्छी तरह से समझा और आत्मसात किया है। विद्यार्थी जब इस प्रक्रिया में भाग लेता है तो शैक्षिक मूल्यांकन विद्यार्थी द्वारा प्राप्त की गई सक्षमताओं और कौशलों की जानकारी देता है। विद्यार्थी मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कार्यक्रमों के निष्कर्षों को दो पहलुओं पर निश्चित करती है; पहला; विद्यार्थी द्वारा साक्षरता कौशलों में प्राप्त किये गए निपुणता स्तर और दूसरा साक्षरता कौशलों के मूल्यांकन कार्यक्रम में प्रतिभागिता द्वारा अनुभव किया गया सशक्तिकरण। यह कार्य एनएलएम के नियमानुसार निर्मित साधनों का उपयोग करते हुए किया जाएगा। निपुणता स्तरों को एनएलएम नियमों के अनुसार पढ़ने, लिखने और गणना करने संबंधी कौशलों के मूल्यांकन द्वारा निश्चित किया जाएगा।

बेसिक साक्षरता मूल्यांकन कार्यक्रम एक विशद् कार्यक्रम होगा और इसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं/विभागों की सक्रिय सहभागिता की आवश्यकता होगी।

2. मूल्यांकन करने और प्रमाणपत्र देने के उद्देश्य

नवसाक्षरों के मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(i) प्राप्त किए गए कार्यात्मक साक्षरता कौशलों के निपुणता स्तरों का मूल्यांकन करना।

(ii) प्रमाणपत्र द्वारा बेसिक साक्षरता स्तर के उपलब्धि स्तर को मान्यता देना।

(iii) शिक्षा में उन्हें उच्चतर गतिशीलता के लिए प्रोत्साहित करना।

(iv) अनौपचारिक अनुभव को बढ़ावा देना और उपयुक्त शिक्षा और जीवन कौशल समान रूप से उपलब्ध कराना।

3. मूल्यांकन और प्रमाणपत्र के लिए मुख्य आधार

विद्यार्थी मूल्यांकन की प्रणाली में साक्षरता कौशलों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता द्वारा सामान्य जागरुकता और सशक्तिकरण भी शामिल है। इसलिए यह मूल्यांकन कार्यक्रम के प्रभाव को मापने और शिक्षार्थी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सुझाव देने में सहायता करेगा। शिक्षार्थी मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित मुख्य आधार हैं–

(i) साक्षरता कौशल प्राप्त करने से शिक्षार्थी के औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा प्रणालियों द्वारा जीवन पर्यंत शैक्षिक प्रक्रिया में भाग लेने में सहायता मिलेगी।

(ii) मूल्यांकन प्रक्रिया से विद्यार्थी में आत्मविश्वास का निर्माण करने और कार्यक्रम को बहुमूल्य फीडबैक प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

(iii) साक्षरता और केन्द्र आधारित गतिविधियों में भाग लेने से शिक्षार्थी के संपूर्ण वैयक्तिक और सामाजिक विकास में योगदान मिलता है।

(iv) शिक्षार्थी के स्वाभिमान और आत्मविश्वास के निर्माण को साक्षर भारत कार्यक्रम के महत्त्वपूर्ण कारकों के रूप में मान्यता दी जा रही है।

(v) आधारभूत स्तर पर विकासात्मक प्रक्रियाओं में सक्रिय प्रतिभागिता के लिए शिक्षार्थियों की जागरुकता और सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है। ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं।

4. मूल्यांकन के सिद्धांत

मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल मूल सिद्धांत होंगे–

(i) साहस और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना।

इसके लिए संकलित मूल्यांकन होंगे

(ii) कुल मूल्यांकन 150 अंकों का होगा जिसमें प्रत्येक कौशल (पढ़ना, लिखना और गणित) के लिए 50 अंक निर्धारित किए जाएँगे।

(iii) निम्नलिखित तीन भागों में प्रत्येक के लिए शिक्षार्थी को अंक दिए जाएंगे:

(क) पढ़ना : 50 अंक

(ख) लिखना : 50 अंक

(ग) गणित : 50 अंक

(iv) शिक्षार्थी अपनी गति से सभी भागों में अंक प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र है।

(v) ग्रेडों के तीन स्तर होंगे–क, ख और ग जो निम्नलिखित हैं:–

कुल अंक प्रतिशत % में	**स्पष्टीकरण**	**ग्रेड**
60% और अधिक	अच्छा	क
40% और अधिक	संतोषजनक	ख
40% से कम	सुधार की आवश्यकता है	ग

(vi) एनआईओएस परिणाम तैयार करेगा और ग्रेड-सह-प्रमाणपत्र एनआईओएस तथा एनएलएमए का एक संयुक्त प्रमाणपत्र होगा जिसे एनआईओएस द्वारा एनएलएमए के साथ परामर्श करके डिजाइन किया जाएगा और तैयार किया जाएगा। ग्रेड-सह-प्रमाणपत्र में केवल ग्रेड दर्शाये जाएँगे।

(vii) ग्रेड-सह-प्रमाणपत्र का मुद्रण एनआईओएस द्वारा किया जाएगा और उसके बाद आगे वितरण के लिए प्रत्येक एसएलएमए को सौंपा जाएगा। ग्रेड-सह-प्रमाणपत्र मूल्यांकन में भाग लेने वाले सभी शिक्षार्थियों के लिए तैयार किया जाएगा।

(viii) किसी भी भाग में 'सी' ग्रेड प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी अगले मूल्यांकन कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी क्षमता का स्तर बढ़ा सकते हैं।

5. मूल्यांकन के क्षेत्र

शिक्षार्थी की 3 घण्टे की संकलित लिखित बाह्य परीक्षा द्वारा पढ़ने, लिखने और गणना कौशलों में निपुणता का मूल्यांकन किया जाएगा।

6. संकलित मूल्यांकन साधनों/प्रश्नपत्रों का डिजाइन बनाना और उन्हें तैयार करना

(i) इसके द्वारा 3 आर अर्थात् पढ़ने, लिखने और गणना करने में प्राप्त की गई विद्यार्थी निपुणता का मूल्यांकन किया जाएगा।

(ii) एनआईओएस संकलित मूल्यांकन का नमूना एसआरसी के विशेषज्ञों के सहयोग से हिंदी में तैयार करेगा। संबंधित एसआरसी क्षेत्रीय भाषा में उसका अनुवाद करेंगे।

(iii) प्रश्न उत्तरपुस्तिका में उत्तर लिखने के लिए जगह होगी। परीक्षार्थी को दी गई जगह में ही उत्तर लिखने होंगे और उसे उत्तर लिखने के लिए अलग से कागज नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को प्रश्न उत्तरपुस्तिका परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(iv) संबंधित एसएलएमए आवश्यक संख्या में प्रश्न उत्तरपुस्तिका का मुद्रण करेंगे, मुहरबंद करेंगे और सभी एीएलएसएस/जीपीएलएसएस को भेजेंगे जिससे इन्हें आगे परीक्षा केन्द्रों में वितरित किया जा सके।

(v) पिछले मूल्यांकन नमूना प्रश्नपत्र के आधार पर, प्रत्येक राज्य संसाधन केन्द्र संबंधित भाषा में प्रश्न उत्तर पुस्तिका के तीन सेट तैयार करेगा और एनआईओएस को देगा (सॉफ्ट प्रति और हार्ड प्रति)। प्रश्न उत्तर पुस्तिका को दिल्ली में डीएई द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में अंतिम रूप दिया जाएगा। एनआईओएस भी कार्यशाला में भाग लेगा।

(vi) तीनों भागों के लिए कुल अंक 150 हैं। परीक्षा के अंकों का निम्नलिखित प्रकार से वितरण है:-

क्रम सं.	भाग	अंक
1.	पढ़ना	50
2.	लिखना	50
3.	गणना	50
	कुल	150

7. अंतिम मूल्यांकन के लिए अवधि, समय और तिथि

(i) निम्नलिखित योजनानुसार मूल्यांकन वर्ष में दो बार होंगे :

(क) प्रत्येक वर्ष मार्च में किसी रविवार को

(ख) प्रत्येक वर्ष अगसत में किसी रविवार को

(ii) बाह्य मूल्यांकन की अवधि प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक 3 घंटे की होगी। परीक्षा तिथि में परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार परीक्षा केन्द्र आ सकता है और उसे अनुमति दी जानी चाहिए। अक्षम शिक्षार्थियों को प्रमाणपत्र दिखाने पर नियमानुसार सुविधाएँ, जैसे एक लेखक, अतिरिक्त समय आदि दिए जाएंगे।

8. शिक्षार्थियों के मूल्यांकन कार्यक्रम के कार्य-संबंधी मुद्दे, भूमिका निर्धारण और प्रबंधन

मूल्यांकन कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए विभिन्न भागीदारों का बहुस्तरीय और व्यक्ति समूहों की सहभागिता की आवश्यकता होती है–

(i) अभिविन्यास कार्यक्रम

(क) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय/राज्य संसाधन केन्द्र एनआईओएस/एसएलएमए के सहयोग से साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कार्यकर्ताओं के लिए शिक्षार्थियों के मूल्यांकन और पंजीकरण प्रक्रिया संबंधी अभिविन्यास कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। परीक्षा के आयोजन में मूल्यांकन के लिए प्रमुख भागीदारों (एसएलएमए/एसआरसी/जेएसएस) की विशेष भूमिकाएँ और उत्तरदायित्वों तथा बजट पर निर्णय लिया जाएगा। प्रत्येक गतिविधि निश्चित करते हुए परीक्षा के आयोजन के लिए पर्याप्त बजट बनाए जाने की आवश्यकता है।

(ख) इसके लिए जिला स्तर के 'प्रेरकों' को क्षेत्र स्तर के कार्यकर्त्ताओं का अभिविन्यास करना चाहिए।

(ii) मूल्यांकन के लिए पंजीकरण/पुनः पंजीकरण

(क) एसएलएमए, एसआरसी, जेडएलएसएस, बीएलएसएस तथा जीपीएलएसएस मूल्यांकन किए जाने वाले लक्ष्य समूहों को निर्धारित करेंगे।

(ख) एनआईओएस ने पंजीकरण फॉर्म को संशोधित किया है और जो एनआईओएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसकी एक हार्ड कापी एसएलएमए/एसआरसी को भेजने के लिए संलग्न की जा रही है। इसका मुद्रण किया जाएगा और एसआरसी द्वारा एसएलएमए को क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और यह परीक्षा की तिथि तक किया जाएगा। अग्रिम पंजीकरण पिछले मूल्यांकन के अगले दिन से प्रारंभ होगा और वह बीएलपी मूल्यांकन के 10 दिन पहले तक जारी रहेगा। यदि कोई शिक्षार्थी समय पर पंजीकरण कराने में असमर्थ होता है तो उसका पंजीकरण तत्काल पंजीकरण द्वारा अग्रिम पंजीकरण की तिथि के अगले दिन से लेकर वर्तमान मूल्यांकन के दिन तक हो सकता है।

(घ) परीक्षार्थियों का पंजीकरण एसएलएमए एईसी/जीपी में प्रत्येक परीक्षार्थी को नामांकन संख्या देकर दिया जाए। पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करते हुए वे एक पावती जारी करेंगे जिसमें नामांकन संख्या होगी। नामांकन संख्या एनआईसी के सुझाव के अनुसार 15 अंकों की होगी और इस प्रकार तैयार की जाएगी।

Y	Y	Exam No. (1=BL 2=BE)	Type of Programme	6 Digit "GP Identification Code" To be taken from directory of GP Identification Codes						AEC No. (Two AECs allowed in the Programme)	1 or 2 for Surveyed Candidate or Lateral Candidate	3 Digit Serial No. of Candidate		

पंजीकरण संख्या का उदाहरण

For the year 2011		First Exam No. of 2011	Type of Programme (1=BL Basic Literacy 2=BE)	6 Digit "GP Identification Code" taken from directory of GP Identification Codes						1st AEC of the GP	2 for Lateral Candidate	1st Candidate		
1	2	1	1	1	2	3	4	5	6	1	2	0	0	1

मूल्यांकन के लिए पंजीकरण और मूल्यांकन डाटा तैयार करने के लिए इन चरणों को पूरा करना जरूरी है :-

"जीपी पहचान कोड", दिशानिर्देश, पंजीकरण फॉर्म सह अंकतालिका प्रारूप और निर्देश एनआईओएस पोर्टल www.nios.ac.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

सादा **'मूल्यांकन नामांकन फॉर्म'** (एई फॉर्म) एनआईओएस पोर्टल www.nios.ac.in से डाउनलोड करें। यह एक्सेल फॉर्म है।

अंक विवरण इसी एक्सेल फॉर्म (एई फॉर्म) में प्रविष्ट करें और प्रत्येक एसआरसी/एसएलएमए एक समेकित फाइल डीएई के माध्यम से एनआईओएस को भेजें।

पूर्व पंजीकृत शिक्षार्थियों का पंजीकरण पाँच वर्षों के लिए वैद्य होगा और वे प्रमाणीकरण तक उसी नामांकन संख्या का इस्तेमाल करेंगे जो एनएलएमए द्वारा दिया गया हो ऐसी स्थिति में पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) जेएसएस (जहाँ कहीं हो)/पड़ोस के जेएसएस, स्कूलों के हेडमास्टर और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को भी एसएलएमए/जेडएलएसएस की सहायता से पंजीकरण प्रक्रिया, परीक्षाओं के आयोजन और निरीक्षण में शामिल किया जा सकता है। ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं, स्थानीय स्कूल शिक्षकों, आशा/एसएचजी, महिला मंडल को भी परीक्षा के सुचारू आयोजन में शामिल किया जाना चाहिए। मूल्यांकन के सुचारू कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति गठित की जाए जिसमें शिक्षा

विभाग, डाइट, एसआरसी, एसएलएमए/जेडएलएसएस/जेएसएस के अधिकारी शामिल किए जाएँ। डाइट को मूल्यांकन प्रणाली में शैक्षिक सहायता प्रदान करने वाली संस्था के रूप में लिया जाना चाहिए। एसआरसी कार्यक्रमों में डाइट के अधिकारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।

(च) विभिन्न मीडिया माध्यमों (राष्ट्रीय/स्थानीय, राज्य समाचार पत्रों, टी.वी., रेडियो आदि में विज्ञापन) का उपयोग करते हुए एनएलएमए और उसके अधीन कार्यालयों तथा आधारभूत स्तर पर संस्थाओं द्वारा पर्याप्त प्रचार एवं प्रसार किया जाएगा।

(छ) पंजीकरण प्रक्रिया के पूरा होने पर पंजीकरण फॉर्म कंप्यूटरीकरण के लिए जेडएलएसएम को अग्रेषित किया जाएगा। जेएसएस और एनआईसी की सहायता से उन्हें एनआईओएस द्वारा दिए गए प्रारूप पर कंप्यूटरीकृत पंजीकरण डाटा तैयार किया जाएगा। एनआईओएस द्वारा डीएई को प्रारूप की एक सॉफ्ट प्रति प्रदान की जाएगी जिसे आगे एसएलएमए/एसआरसी को भेजा जाएगा।

(ज) एसआरसी, डीएई के माध्यम से एनआईओएस को एक सीडी अग्रेषित करेंगे जिसमें कंम्यूटरीकृत पंजीकरण डाटा की एक समेकित फाइल के साथ प्रत्येक राज्य के अंक विवरण होंगे। पंजीकरण और अंकतालिका की केवल एक फाइल होगी।

(झ) एसएलएमए पंजीकरण और डाटा के कंप्यूटरीकरण के साथ-साथ परीक्षा आयोजन करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

(iii) परीक्षा केन्द्र

(क) परीक्षा केन्द्र जीपी और एईसी की सहायता से एसएलएमए/जेडएलएसएस द्वारा निर्धारित किये जाएंगे। आरंभ में ये केन्द्र पंचायत/एईसी स्तर पर एईसी भवन/पंचायत भवन/सरकारी स्कूल में होंगे जो कि उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करेगा।

(ख) मूल्यांकन के लिए कितनी भी संख्या में परीक्षार्थी पंजीकरण करा सकते हैं और तदनुसार परीक्षाएँ ग्राम पंचायतों के अंतर्गत विभिन्न गाँवों के एक अथवा अधिक भवनों में आयोजित की जा सकती है।

(ग) सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर परीक्षा केन्द्र प्रभारी होंगे और परीक्षा के आयोजन के साथ जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होंगे। उनकी सहायता वहाँ उपलब्ध एसएलएमए/एसआरसी और जीपीएलएसएस और अन्य भागीदारों द्वारा की जाएगी।

(घ) केन्द्र प्रभारी अन्य शिक्षकों और एईसी के प्रेरक/आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं/आशा/ग्राम सेवकों जैसे व्यक्तियों की सहायता से निरीक्षण करवायेंगे।

(ङ) बैठने के उपयुक्त प्रबंध के साथ-साथ, अन्य प्रबंध जैसे परीक्षा हॉल में पानी देने जैसे कार्य किए जाएँ। परीक्षार्थियों को प्रश्न उत्तरपुस्तिका के साथ-साथ बॉल पेन (नीला) प्रदान किए जाएँ।

(च) औपचारिक शिक्षा से भिन्न, परीक्षा के लिए बैठ रहे नव साक्षरों को अगली समकक्षता परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए।

(iv) प्रश्न उत्तरपुस्तिका की मॉनीटरिंग और प्रेषण

(क) एसएलएमए/एनआईओएस प्रश्न उत्तरपुस्तिका की पैकेटों की सॉफ्ट प्रति पहले ही डीएई को सौंप देगा जिससे उन्हें संबंधित एसआरसी को भेजा जाए और एसएलएमए द्वारा मुद्रण और परीक्षा केन्द्रों को वितरित किया जा सके।

(ख) एसएलएमए/जेडएलएसएस/बीएलएसएस/जीपीएलएसएस प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में एक पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा जो परीक्षाओं के सही और सुचारू आयोजन के लिए उत्तरदायी होंगे। पर्यवेक्षक परीक्षा के दिन संबंधित परीक्षा केन्द्र में प्रश्न उत्तर पुस्तिका के पैकेट लेकर जाएंगे। परीक्षा पूरी होने के बाद वही पर्यवेक्षक केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रश्न उत्तर पुस्तिकाओं को मुहरबंद करने पर उसे प्राप्त करके परीक्षा के तुरंत बाद जेडएलएसएस/बीएलएसएस को लौटाएँगे।

(ग) जेडएलएसएस/बीएलएसएस का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे परीक्षा से पहले और बाद में मूल्यांकन पूरा होने तक प्रश्न सह-उत्तर पुस्तिका को सुरक्षित रखे।

(v) मूल्यांकन प्रक्रिया

(क) किसी माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य द्वारा नियंत्रित निरीक्षण कार्य किया जाएगा। शैक्षिक कर्मचारियों द्वारा मूल्यांकन कार्य केन्द्रीयकृत आधार पर जेडएलएसएस/बीएलएसएस स्तर पर किया जाएगा और जेडएलएसएस/बीएलएसएस प्राधिकारी इसे नियंत्रित भी करेंगे।

(ख) मूल्यांकनकर्त्ता तीनों भागों के प्रत्येक में प्राप्त अंकों को प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर और अंक सूची में भरेंगे।

(ग) जेडएलएसएस इन अंकों को पंजीकरण डाटा के लिए प्रयुक्त नामांकन फॉर्म में कंप्यूटरीकृत करेंगे। एनआईओएस पोर्टल www.nios.ac.in पर उपलब्ध है और उसे संबंधित एसएलएमए/एसआरसी द्वारा साफ्ट कापी एनआईओएस को भेजा जाएगा। एसएलएमए/एसआरसी/डीएई के माध्यम से एनआईओएस को पंजीकरण और अंकों का एक डाटा बेस भेजेंगे। जेडएलएसएस/बीएलएसएस प्रश्न सह-उत्तर पुस्तिकाएँ, अंक सूचियों की शेष प्रतियाँ और उपस्थिति पत्रों की प्रतियाँ अगले अंतिम मूल्यांकन कार्यक्रम तक भविष्य में कार्य के लिए संभालकर रखेंगे। इसे जेडएलएसएस प्राधिकारियों के निरीक्षण में पल्पिंग द्वारा अथवा 6 माह तक जो भी पहले हो, इन्हें नष्ट किया जा सकता है। इन मदों का पल्पिंग प्रमाणपत्र एसआरसी को प्रदान किया जाए।

(घ) एनआईओएस अपने क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा परीक्षा के आयोजन के लिए परीक्षा केन्द्रों में और राज्य संसाधन केन्द्रों में निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर बिना सूचना दिए एक दल को भेज सकता है।

(ङ) एसएलएमए पंजीकरण और मूल्यांकन प्रक्रिया के आरंभ से पहले एसआरसी और जेएसएस से परामर्श करके कार्यकर्त्ताओं/मूल्यांकनकर्त्ताओं/मॉडरेटरों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करेगा।

(च) संपूर्ण प्रक्रिया के लिए प्रत्येक गतिविधि हेतु कैलेंडर तैयार किया गया है जो दिशा निर्देश के साथ संलग्न है।

(vi) परिणामों की घोषणा

(क) एसएलएमए/एसआरसी जब परीक्षा परिणाम का डाटा तैयार करके कंप्यूटरीकृत रूप में एनआईओएस को देगा, तो एनआईओएस पंजीकरण डाटा के साथ उसका सत्यापन करके परीक्षा परिणाम की घोषणा करेगा।

(ख) संबंधित एसएलएमए/एसआरसी द्वारा पंजीकरण और अंकों का कंप्यूटरीकृत डाटा डीएई द्वारा प्राप्त करने की समय सीमा परीक्षा की तिथि से 40 दिन है।

(ग) परीक्षा परिणाम की घोषणा के लिए समय सीमा एसएलएमए/एसआरसी से डीएई द्वारा सारा डाटा प्राप्त करने की तिथि से 15 दिन है अर्थात् 31 अक्तूबर, अगस्त मूल्यांकन के लिए तथा 31 मई, मार्च मूल्यांकन के लिए।

(घ) ये परिणाम एनआईओएस वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें जब भी आवश्यकता हो देखा जा सकता है और डाउनलोड किया जा सकता है। ये परिणाम संभवत: एक वर्ष की अवधि तक वेबसाइट पर रहेंगे।

(ङ) परीक्षा की तिथि से 45 दिनों में परिणामों की सूचना और विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र जारी करने की सूचना परीक्षा की तिथि से 60 दिनों में दी जाएगी।

9. प्रमाणपत्र देना और परिणाम भेजना

(i) विद्यार्थी को एनआईओएस और एनएलएम द्वारा एक संयुक्त ग्रेड-सह-प्रमाणपत्र दिया जाएगा जो एनआईओएस द्वारा डिजाइन किया गया और बनाया गया है।

(ii) ग्रेड-सह-प्रमाणपत्रों पर केवल ए,बी,सी ग्रेड दर्शाए जाएँगे।

(iii) ग्रेड-सह-प्रमाणपत्र एनआईओएस द्वारा मुद्रित किए जाएंगे और परिणामों की सॉफ्ट प्रति के साथ आगे वितरण के लिए एनएलएमए को दिए जाएंगे।

(iv) सामान्य तौर पर अगली सत्रांत परीक्षा के आयोजन से पहले परीक्षार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए जाएंगे।

——— *** ———

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
गतिविधि चार्ट

(एनएलएमए – एनआईओएस बुनियादी मूल्यांकन कार्यक्रम – 25 अगस्त, 2013)

क्र.सं.	गतिविधियाँ	किसके द्वारा	समय सीमा
1.	मूल्यांकन दिशा निर्देश तथा साधनों को तैयार किया जाना – मूल्यांकन और प्रमाणीकरण का उद्देश्य – मूल्यांकन और प्रमाणीकरण का मूलाधार – मूल्यांकन के सिद्धांत – मूल्यांकन के क्षेत्र – समेकित मूल्यांकन के साधन/प्रश्नपत्र का डिजाइन और निर्माण – आवर्तन, अंतिम मूल्यांकन का समय तथा तिथि – क्रियात्मक मुद्दे – भूमिका निर्धारण और शिक्षार्थियों के मूल्यांकन का प्रबंधन – प्रमाणीकरण तथा प्रमाणपत्र प्रेषण	एनआईओएस द्वारा डीएई के सहयोग से	एनआईओएस द्वारा तैयार करके एनएलएमए/डीएई को दे दिया गया
2.	प्रचार (विज्ञापन) i. रेडियो स्पॉट ii. मुद्रित माध्यम iii. दूरदर्शन iv. टेलीकान्फ्रेंसिंग	एनएलएमए, एसआरसी और एसएलएमए	25 अगस्त, 2013 तक
3.	लक्ष्य क्षेत्रों की पहचान	एसआरसी, एसएलएमए, जेडएलएसएस, बीएलएसएस, जीपी एलएसएस	25 अगस्त, 2013 तक
4.	अग्रिम नामांकन (एनआईसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में)	एसएलएमए, एसआरसी, जेडएलएसएस, बीएलएसएस, जीपीएलएसएस, एनआईसी	17 अगस्त, 2013 तक

क्र.सं.	गतिविधियाँ	किसके द्वारा	समय सीमा
5.	तत्काल नामांकन (पंजीकरण)	एसएलएमए, एसआरसी, जेडएलएसएस, बीएलएसएस, जीपीएलएसएस, एनआईसी	18 से 25 अगस्त, 2013 तक
6.	प्रवेश डाटा का कंप्यूटरीकरण	एसएलएमए, एसआरसी, जेडएलएसएस, बीएलएसएस, जीपीएलएसएस, एनआईसी	30 अगस्त, 2013 तक
7.	कार्यकर्त्ताओं का अभिविन्यास	डीएई/एसआरसी द्वारा एनआईओएस के सहयोग से	जून व जुलाई, 2013
8.	प्रश्न उत्तर पुस्तिका का विकास	एनआईओएस द्वारा एसआरसी के सहयोग से	18 जुलाई, 2013 तक
9.	प्रश्न उत्तर पुस्तिका का मुद्रण	एसएलएमए	06 अगस्त, 2013 तक
10.	मूल्यांकन केन्द्रों की पहचान	एसएलएमए, बीएलएसएस, जीपीएलएसएस	जून व जुलाई, 2013
11.	पर्यवेक्षकों की पहचान	एसएलएमए, बीएलएसएस, जीपीएलएसएस	31 जुलाई, 2013 तक
12.	प्रश्नउत्तरपुस्तिका की मॉनीटरिंग और वितरण	एनआईओएस, डीएई, बीएलएसएस, जीपीएलएसएस	18 अगस्त, 2013 तक
13.	**मूल्यांकन का आयोजन**	**एसएलएमए, जेडएलएसएस, बीएलएसएस, जीपीएलएसएस**	**25 अगस्त, 2013 प्रातः 10.00 से सांय 5.00 बजे तक**

क्र.सं.	गतिविधियाँ	किसके द्वारा	समय सीमा
14.	मूल्यांकन की मॉनीटरिंग	एसएलएमए, जेडएलएसएस, बीएलएसएस	**25 अगस्त, 2013** प्रात: 10.00 से सांय 5.00 बजे तक
15.	प्रश्नउत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन	जेडएलएसएस, बीएलएसएस	20 सितंबर, 2013 तक
16.	परीक्षा डाटा का कंप्यूटरीकरण	एसएलएमए	30 सितंबर, 2013 तक
17.	डाटा स्थानांतरण (प्रत्येक एसएलएमए से एक ही फाइल)**	एसएलएमए-एसआरसीडीएई-एनआईओएस	05 अक्तूबर, 2013 तक
18.	वैधता, संपादन, सत्यापन तथा परिणाम प्रक्रिया	एनआईओएस	20 अक्तूबर, 2013 तक
19.	परीक्षा परिणाम का अनुमोदन तथा परिणाम घोषणा	एनआईओएस तथा एनएलएमए	30 अक्तूबर 2013 तक
20.	ग्रेड-सह-प्रमाणपत्र का मुद्रण	एनआईओएस	1 से 30 नवंबर, 2013
21.	प्रमाणपत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना/वितरण	एनआईओएस-एसएलएमए	1 दिसंबर से 15 दिसंबर, 2013
22.	ग्रेड शीट शह प्रमाण पत्र का वितरण	एसएलएमए-विद्यार्थी	20 दिसंबर, 2013 तक
23.	मूल्यांकन का विश्लेषण	एनआईओएस तथा डीएई/एनएलएमए	20 दिसंबर, 2013 तक
24.	मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार किया जाना	एनआईओएस तथा डीएई/एनएलएमए	30 दिसंबर, 2013 तक

" जीपी पहचान कोड, दिशा निर्देश तथा मूल्यांकन नामांकन फॉर्म-सह अंक विवरण प्रारूप एनआईओएस के वेबसाइट www.nios.ac.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

* सादा 'मूल्यांकन नामांकन फार्म' (एई फार्म) एनआईओएस के पोर्टल www.nios.ac.in से डाउनलोड करें। यह एक एक्सेल फॉर्म है।

** अंक डाटा उसी एक्सेल फार्म (एई फार्म) में प्रविष्ट किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक एसआरसी/एसएलएमए से एक ही समेकित फाइल डीएई के माध्यम से एनआईओएस को भेजा जाए।